न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र नाथ मित्तल जी के सामने

कुन्दन लाल और अन्य,-याचिकाकर्ता
बनाम
मेहताब राम और अन्य, प्रतिवादी।
1979 का नागरिक संशोधन संख्या 1693।
11 जनवरी 1980.

मध्यस्थता अधिनियम (X ऑफ 1940) - धारा 20 और 23- विवाद धारा 20 के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित- न्यायालय क्या विवाद में मामलों को निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य है- धारा 23 के प्रावधान- क्या ऐसी मध्यस्थता पर लागू होते हैं।

माना गया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940, तीन प्रकार की मध्यस्थता प्रदान करता है, पहला, अदालत के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता, दूसरा, अदालत के हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता जहां कोई मुकदमा लंबित नहीं है और तीसरा, मुकदमों में मध्यस्थता । मध्यस्थता का पहला प्रकार अध्याय II (धारा 3 से 10) में प्रदान किया गया है, दूसरा प्रकार अध्याय III (धारा 20) में और तीसरा प्रकार अध्याय IV (धारा 21 से 25) में प्रदान किया गया है। धारा 20, जिसके तहत संदर्भ दिया गया है, यह प्रदान नहीं करती है कि मामले को मध्यस्थ को संदर्भित करते समय न्यायालय को पार्टियों के बीच विवाद में मामले को निर्दिष्ट करना चाहिए, जबकि मुकदमों में मध्यस्थ का संदर्भ देते समय धारा 23 लागू होती है। यह प्रदान करता है कि न्यायालय उस मामले में मध्यस्थ को संदर्भित करेगा जिसे उसे निर्धारित करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 20 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। धारा 23- के प्रावधानों को धारा 20 के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थता कार्यवाही में आयात नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां अधिनियम की धारा 20 के तहत किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है, अदालत पार्टियों के बीच विवाद में मामले को निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। (पैरा 5).

श्री बी.के. गुप्ता, एच.सी.एस., उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, कैथल, दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के आदेश में संशोधन के लिए सी.पी.सी. की धारा 115. के तहत याचिका, श्री जे. डी. चंदना, उप-न्यायाधीश न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, कैथल द्वारा पारित दिनांक 30 जनवरी, 1976 के आदेश को रद्द करते हुए।

याचिकाकर्ताओं के वकील के.एस. कपूर।

प्रतिवादियों के वकील बलदेव कपूर (10 जनवरी 1980 को)

निर्णय

न्यायमूर्ति आर.एन.मित्तल, (मौखिक)

(1) यह अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी कैथल, के दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के फैसले को रद्द करने के आदेश के खिलाफ कुंदन लाल आदि याचिकाकर्ताओं द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों ने मेसर्स चीका ईंट-भट्ठा उद्योग, चीका के नाम और शैली के तहत साझेदारी में ईंटों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 20 सितंबर, 1968 को एक साझेदारी विलेख निष्पादित किया। विलेख में एक शर्त यह थी कि साझेदारी व्यवसाय से संबंधित विवाद के मामले में, इसे भारतीय मध्यस्थता अधिनियम (इसके बाद संदर्भित) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। अधिनियम के रूप में)। पार्टियों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए और याचिकाकर्ताओं ने अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि मामले को मध्यस्थ के पास भेजा जाए। उन्होंने इसे बुआ दित्ता ईंट-भट्ठा-मालिक की मध्यस्थता के पास भेज दिया।

(3) मध्यस्थ ने एक पंचाट दिया और 4 नवंबर 1976 को इसे न्यायालय में दायर किया। उत्तरदाताओं ने इस पंचाट के खिलाफ आपत्ति उठाई कि न्यायालय द्वारा कोई बिंदु तय नहीं किया गया था जिस पर मध्यस्थ को पंचाट देना था और इसलिए, यह टिकाऊ नहीं था। प्रतिवादी की आपत्ति को अधीनस्थ न्यायाधीश ने 9 अप्रैल, 1979 के आदेश के तहत बरकरार रखा। इसलिए, उन्होंने पंचाट को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता उक्त आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण में इस न्यायालय में आये हैं।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 20 के तहत मामले को मध्यस्थ के पास भेजते समय न्यायालय के लिए बिंदु तय करना आवश्यक नहीं था। उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि मामले का फैसला करते समय, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 23 को ध्यान में रखा, जो मुकदमों में मध्यस्थता पर लागू थी, न कि उन मध्यस्थता पर जो न्यायालय के हस्तक्षेप से होती हैं जहां कोई मुकदमा लंबित नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त स्थिति में, न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है और रद्द किये जाने योग्य है।

(5) मैंने विद्वान वकील के तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसमें दम पाया है। अधिनियम तीन प्रकार की मध्यस्थता प्रदान करता है, पहला, किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता, दूसरा, किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के

साथ मध्यस्थता जहां कोई मुकदमा लंबित नहीं है और तीसरा, मुकदमों में मध्यस्थता। मध्यस्थता का पहला प्रकार अध्याय II (धारा 3 से 19) में, दूसरा प्रकार अध्याय III (धारा 20) में और तीसरा प्रकार अध्याय IV (धारा 21 से 25) में प्रदान किया गया है। वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि मामला धारा 20 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, जो अध्याय III का एक हिस्सा है। यह धारा यह प्रावधान नहीं करती है कि न्यायालय को किसी मामले को मध्यस्थ के पास भेजते समय पक्षों के बीच मतभेद को निर्दिष्ट करना चाहिए। मुकदमों में मध्यस्थ का संदर्भ देते समय धारा 23 लागू होती है। यह प्रावधान करता है कि न्यायालय उस मामले को मध्यस्थ के पास भेजेगा जिसे निर्धारित करना उससे अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 20 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 23 के प्रावधानों को धारा 20 के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थता कार्यवाही में आयात नहीं किया जा सकता है। उक्त दृष्टिकोण में मैं हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम लाला रोशन लाई कुठियाला और अन्य[1] में न्यायमर्ती दुआ (जैसा कि वह तब था) की टिप्पणियों से मजबूत हुआ हूं। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि धारा 23, जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम के अध्याय IV में है, केवल मुकदमों में मध्यस्थता पर लागू होती है, न कि उस न्यायालय के हस्तक्षेप से मध्यस्थता पर जहां कोई मुकदमा लंबित नहीं है। इसलिए, मेरे विचार में, न्यायालय इस आधार पर पुरस्कार को रद्द नहीं कर सकता है कि जब मामला मध्यस्थ के पास भेजा गया था तो न्यायालय द्वारा मध्यस्थ के निर्धारण के लिए कोई बिंदु तय नहीं किया गया था। धारा 30 में पुरस्कार को रद्द करने का आधार शामिल है। हालाँकि, न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर अन्य आपत्तियों पर निर्णय नहीं लिया है। नतीजतन, मैं पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करता हूं, विवादित आदेश को रद्द करता हूं और अन्य आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए मामले को अधीनस्थ न्यायाधीश के पास भेजता हूं। पुनरीक्षण याचिका में लागत मामले में लागत होगी। पक्षों को 15 फरवरी 1980 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

[1] 1963 पी आल आर 318.

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
तोशाम (भिवानी), हरियाणा